भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम

विधि विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रैल 24, 1975

संख्या प. 2 (10) विधि 73.—राजस्थान राज्य विधान मण्डल का निम्नलिखित अधिनियम जिसे राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक 24 अप्रैल, 1975 को प्राप्त हुई, एतद द्वारा सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:—

राजस्थान पशु एवं पक्षी बलि (निषेध) अधिनियम, 1975

(अधिनियम संख्या 21 सन् 1975)

(राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक 24 अप्रैल, 1975 को प्राप्त हुई)

राजस्थान राज्य में मन्दिरों के अन्दर अथवा मन्दिर के परिसर में अथवा धार्मिक पूजा के सार्वजनिक स्थानों में पशुओं एवं पक्षियों की बलि निषेध किए जाने हेतु अधिनियम।

राजस्थान राज्य विधान मण्डल द्वारा भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में यह निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हो:—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ— (1) यह अधिनियम राजस्थान पशु एवं पक्षी बलि (निषेध) अधिनियम, 1975 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार समूचे राजस्थान राज्य पर होगा।

(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. परिभाषाएँ— इस अधिनियम में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) 'मन्दिर के परिसर' से अभिप्राय मन्दिर से सम्बद्ध कोई मण्डप भवन तथा मन्दिर से सम्बद्ध भूमि जो साधारणतया मन्दिर में पूजा से सम्बन्ध किसी भी प्रयोजन के लिये काम में ली जाती हो , चाहे उक्त भूमि मन्दिर की सम्पत्ति है अथवा नहीं। मन्दिर से सम्बन्ध भूमि का सम्पूर्ण क्षेत्र जिस पर मन्दिर स्थित है अथवा ज्ञात की जाती है, धार्मिक।

(ख) 'बलि' से अभिप्रेत है किसी देवी देवता का प्रसन्न करने के इरादे अथवा प्रयोजन से किसी पशु अथवा पक्षी का वध करना अथवा उसका अंगभंग किया जाना।

(ग) 'मन्दिर' से अभिप्रेत किसी भी नाम से से जानने योग्य ऐसे स्थान से है जो सार्वजनिक धार्मिक पूजा-स्थल के लिए काम में लिया जा रहा हो और सार्वजनिक धार्मिक पूजा-स्थल के रूप में समर्पित हो; तथा

(घ) धार्मिक पूजा का सार्वजनिक स्थान' से जनता अथवा उसकी किसी अनुभाग द्वारा धार्मिक पूजा या भक्ति के प्रयोजन के उपयोग हेतु आशयित या पहुंच का कोई स्थान अभिप्रेत है।

3. मन्दिर में अथवा मन्दिर के परिसर में अथवा धार्मिक पूजा के सार्वजनिक स्थान में पशु अथवा पक्षी की बलि निषेध— किसी भी मन्दिर में अथवा उसके परिसर में अथवा अन्य धार्मिक पूजा के सार्वजनिक स्थान में न तो कोई व्यक्ति किसी भी पशु अथवा पक्षी की बलि देगा अथवा न ही किसी को बलि देने में सहायता प्रदान करेगा।

4. बलि आदि कृत्यों का निषेध —कोई भी व्यक्ति किसी मन्दिर अथवा उसकी परिसर में अथवा किसी प्रन्य धार्मिक पूजा के सार्वजनिक स्थान के भीतर किसी बलिदान में,—

(क) पुरोहिती या पुरोहिती की प्रस्थापना, या

(ख) कोई काम या काम की प्रस्थापना, या

(ग) सेवा, सहायता या सहभागिता अथवा सेवा, सहायता या सहभागिता की प्रस्थापना,

नहीं करेगा।

5. मन्दिर का अथवा मन्दिर के परिसर अथवा अन्य धार्मिक पूजा के सार्वजनिक स्थान का बलि के लिये निषेध —कोई भी व्यक्ति जानबूझ कर किसी भी ऐसा स्थान पर बलि का कार्य नहीं निवाहन देगा जो—

(क) किसी मन्दिर अथवा उसके परिसर अथवा अन्य धार्मिक पूजा के सार्वजनिक स्थान में अवस्थित हो, और

(ख) उसके अधिकार में अथवा उसके नियन्त्रण में है।

6. दण्ड—(1) जो कोई इस अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा अथवा उल्लंघन किये जाने के लिये सहायता अथवा दुष्प्रेरण करेगा , अपराधी ठहराये जाने पर 6 माह तक की जेल अथवा रुपये 500/- तक का जुर्माना अथवा दोनों से एक साथ दण्डित किया जा सकेगा।

(2) जो कोई अधिनियम की धारा 4 अथवा धारा 5 के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा, प्रथवा उल्लंघन किये जाने में सहायता प्रदान करेगा , अथवा दुष्प्रेरण करेगा अपराधी ठहराने जाने पर 3 माह तक की जेल अथवा रूपने 300/- तक के जुर्मानें अथवा दोनों से एक साथ दण्डित किया जा सकेगा।

7. अपराधों की सुनवाई:— इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले की सुनवाई प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जावेगी।

8. निषेधाज्ञा जारी किया जाना — (1) यदि कार्य-पालक मजिस्ट्रेट का किसी परिवाद अथवा अन्य सूचना प्राप्त होने पर यह समाधान हो जाना है कि इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया जाकर बलि द्वारा अनुष्ठान किया जाने वाला है, तो वह व्यवस्था करने वाले अथवा अनुष्ठान करने वाले एवं इससे सम्बद्ध व्यक्तियों के विरूद्ध इस प्रकार बलि के कृत्य किये जाने को निषिद्ध करने हेतु निषेधाज्ञा जारी कर सकेगा।

(2) जो कोई यह जानते हुए भी कि उप-धारा (1) के अन्तर्गत उसके विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी की जा चुकी है , निषेधाज्ञा की अवज्ञा करेगा , अपराधी ठहराये जाने पर या तो एक वर्ष तक की जेल अथवा 1000/- रूपये तक जुर्माना अथवा दोनो से दण्डित किया जा सकेगा।

9. निषेधात्मक आदेश लागू करने या कोई शिकायत दाखिल करने के लिये पुलिस थाने के भारसाधक का कर्तव्य:— (1) यह सूचना प्राप्त होने पर कि बलिदान का प्रबन्ध किया गया है या किया जाने वाला है , जब तक दी गई सूचना पर विश्वास नहीं करने के यथोचित आधार नहीं हो , जिन्हें लेखबद्ध किया जायेगा , पुलिस थाने भारसाधक अधिकारी इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में जहां बलिदान किया जाने वाला हो वहां के कार्य-पालक मजिस्ट्रेट को धारा 8 के अधीन प्रतिषेधात्मक आदेश प्राप्त करने के लिये आवेदन करेगा।

(2) वह सूचना प्राप्त होने पर कि इसे अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया हैं, पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी जब तक दी गई सूचना पर विश्वास नहीं करने के यथोचित आधार नहीं हो जिन्हें लेखबद्ध किया जायेगा , ऐसे अपराधों के विचारण की अधि-कारिता रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष , यथा संभव शीघ्र , शिकायत दाखिल करेगा।

सम्पतराज सिंघी
शासन सचिव